1	2	3
17.	Meghalaya	600.00
18.	Mizoram	598.00
19.	Nagaland	452.60
20.	Orissa	1703.80
21.	Punjab	1488.25
22.	Rajasthan	1080.00
23.	Sikkim	0.00
24.	Tamil Nadu	1173.60
25.	Tripura	850.00
26.	Uttranchal	140.70
27.	Uttar Pradesh	9417.00
28.	West Bengal	2820.00
	TOTAL:	41859.90

Electricity to Every House

@*158. SHRI BACHANI LEKHRAJ; Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it has been- decided to provide electricity to every house;

(b) if so, the amount earmarked for it;

(c) by when, the task will be completed; and

(d) the details of measures being taken to ensure the availability of power?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Conference of Chief Ministers held on 3rd March,

@ Question No. 146 and 158 were taken together.

2001 resolved as follows:

(i) Rural Electrification may be treated as a Basic Minimum Service under the Prime Minister's Gramodaya Yojna;

(ii) Rural Electrification may be completed by the end of the 10th Plan *i.e.* by year 2007;

(iii) Full coverage of all households may be targeted for the end of the 11th Plan *i.e.* by year 2012.

Rural Electrification has now been included under Pradhan Mantri Gramodaya Yojna (PMGY) under which funds would flow directly to the States as Additional Central Assistance from the year 2001-02. A total allocation of Rs. 41859.90 lakhs has been made for rural electrification under PMGY for the year 2001-2002 for the States. The State-wise allocation of Additional Central Assistance for PMGY for the year 2001-02 is given at the Statement.

[Refer to the Statement III, appended to in the reply of Starred Question No. 146].

The States have been advised to draw up a time bound action plan for the fulfilment of the national goal of coverage of all villages by
2007 and all households by 2012.

In order to ensure the availability of power, Government has taken various measures which include new capacity addition, renovation and modernization of existing generating units and life extension of older units; strengthening of sub-transmission and distribution system
as part of Accelerated Power Development Programme (APDP).

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, as per the answer of the hon. Minister, the definition of village electrification is, "A village will be deemed to be electrified if the electricity is used in inhabited locality within the revenue boundary of the village for any purpose whatsoever." Sir, this definition has to be extended. As per this definition, if 8 particular hamlet is electrified in a big revenue village, that village is considered as a fully electrified village. Take the example of the State of Andhra Pradesh, where out of 26,586 villages, 26,565 villages have been electrified. The rest of the villages

are not possible to be electrified. Most of the hamlets are still to be electrified. Sir, what I am trying to say is that the present definition has to be re-defined so that more hamlets in a particular village could be included. Sir, because of this fallacy in the definition, under MNP, Andhra Pradesh was not given any allocation for this year. So, through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether a change in the present definition would be considered by the Government of India so that all the hamlets, up to the maximum extent possible, in a particular revenue village, could be electrified.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I fully share the view which has been expressed by the hon. Member. Sir, today's definition of village electrification does not take into consideration the extent to which a village is electrified, before it is formerly declared as electrified. Sir, the earlier definition was, in fact, still more restrictive. That is, even if electricity was available within the revenue boundary of a village, it was considered that the village was electrified. This definition is now being extended to say that there must be electric connection, at least, in a minimum inhabited area. But you are absolutely right. Sir, normally, we deem a village to be electrified, even it is a token connection, whereas the rest of the village would still be in darkness. Therefore, we are already in the process. We have already directed our Ministry. They are working on it. Sir, only just about 15 days ago, we had a meeting of all the State Governments of Northern India—because we are doing it regionally—to elicit their views, because, Sir, you are aware that village electrification is the responsibility of the respective State Electricity Boards. So, their views would be of paramount importance, but we agree with this view of the hon. Member. We want to extend the village electrification. We would like to consider a village fully electrified only when a substantial part of a village receives electricity. So we would like to do this. We are in the process of changing the definition. We are eliciting the views of the State Governments.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I thank the hon. Minister for. giving a very positive reply. My second supplementary is this. There are a lot of imbalances in the National Grid. The areas, where the generation of power is there, are very rich in power supply;

whereas the areas, where the generation is not there, are deficient. So, I would like to know whether the Government could initiate any action so that the surplus power in certain States can be transferred to the deficient States.

SHRI SURESH PRABHU; Sir, in fact, even today, this is being done because, normally, the power which is generated, is generated in an area where the source for generating power is available. For example, coal is located in the eastern part of India. Our major hydro resource is located either in the up-north or in the north-eastern part of India. There is a load centre in the rest of the country. Therefore, when the power is generated, and if surplus power is available within the area where it is generated, it has to be transferred to the deficient areas; and that is done through a Grid. However, we do not have a truly National Grid; and, therefore, the Government of India is already working on creating a National Grid which can transfer power on a real-time basis from one place to another, and then we will be able to substantially reduce the shortages that are prevailing in various parts of the country at present.

For example, even today, the eastern part of India is having surplus power. As a result, there is a low plant load factor in that area also. We are trying,to bring that power to the northern, southern and western parts of the country. The process has started and the South is, in fact, receiving some power from the surplus power of the East.

MR. CHAIRMAN: Shri Bachani Lekhraj. The hon. Member is absent. श्री रमा शंकर कौशिक।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने विघुतीकृत गांव की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार किसी भी गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाएगा अगर किसी भी प्रयोजन के लिए गांव की राजस्व सीमा के भीतर आवासीय स्थान पर बिजली प्रयोग की जाती है। श्रीमन् इस परिभाषा के अंतर्गत माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 77 हजार गांवों का आंकड़ा दिया है, लेकिन इनमें बीसों ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली नहीं है। उस का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां कि लोगों की जमीन गांव से काफी दूर-दूर हैं। श्रीमन् राजस्व वाली भूमि की जहां तक बात है तो राजस्व तो गांव का बहुत बड़ा एरिया होता है और उस एरिये में किसी ने ट्यूबवैल लगा लिया तो उस को विद्युतीकृत मान लिया गया है, लेकिन वहां गांव में

एक बल्ब भी नहीं है। वहां बिजली जा नहीं सकती क्योंकि किलोमीटर का फासला होता है, लेकिन यह कोई फासले की बात नहीं है, हमारे यहां कुछ ऐसे जिले हैं जहां कि लोगों ने अपने खेत पर एक-एक घर बना लिया है जिसे डेड़ा कहते हैं। श्रीमन् शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर यानी तराई का जितना इलाका है सीतापुर और उस के आगे लखीमपुर वगैरा का वहां सब ने गांव से बाहर अपने खेत पर एक ट्यूबवेल लगा लिया है। श्रीमन् हमारे यहां एक ट्यूबवेल की छूट होती थी। जो ड्राई एरिया घोषित नहीं हुआ था, जो सूखा क्षेत्र या काला क्षेत्र घोषित नहीं हुआ था वहां पर खेती के लिए ट्यूबवेल दिए गए हैं। नतीजा यह हुआ कि यह 77 हज़ार की जो संख्या दी है, उसमें उत्तर प्रदेश में ज्यादा-से-ज्यादा 50 हजार गांव विघुतीकृत होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिभाषा को बदलकर ऐसा करें कि गांव में बिजली हो। यह नहीं कि सिर्फ एल.टी. लाइन चली गयी और उस गांव को विघुतीकृत मान लिया गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जिस गांव में वास्तविक रुप से बिजली पहुंच जाय उसी को विघुतीकृत गांव माना जाए?

श्री सुरेश प्रभु: सर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार इस पर सिर्फ विचार ही नहीं कार्यवाही भी कर रही है। हम राज्यों के साथ सलाह-मशविरा भी कर रहे हैं और जैसे ही राज्यों के साथ सलाह-मशविरे की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य मान जाएंगे, वहां कार्यवाही होगी। सर, हमारी स्टेंडिंग कमेटी ने भी एक सुझाव दिया था कि कम-से-कम 10 प्रतिशत ऐसे घर हों जिन में यदि बिजली पहुंचती है तो ही उसको विघुतीकृत किया गया गांव मानना चाहिए। उस की चर्चा भी हम राज्यों से कर रहे हैं। साथ ही आप ने भी सही फरमाया, देश में 4 लाख ऐसी बस्तियां हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि 80 हजार देहातों में बिजली नहीं पहुंची है, उन का विघुतीकरण नहीं हुआ है। सर, दुर्भाग्य से हमारी दलित और हरिजन बस्तियों का सेंसस आज तक नहीं हुआ है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कहां तक बिजलीकरण वहां हुआ है। लेकिन उनका बिजलीकरण करने की हमारी जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा-से-ज्यादा दोहराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जैसाकि आप ने भी सुझाव दिया, उस पर भी सरकार सिर्फ सोच ही नहीं रही है बल्कि कार्यवाही भी कर रही है।

श्री ललितभाई मेहता: माननीय मंत्री जी आप ने जो उत्तर दिया है, उस में वर्ष 2000-2001 में जो राशि एम.एन.पी. के तहत आवंटित की जाएगी, उसमें 7 राज्यों को कुछ भी नहीं दिया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इन 7 राज्यों से कोई प्रपोजल आप के पास आया कि नहीं? दूसरी बात यह है कि आप ने जो आंकडे दिए हैं, उसमें वर्ष 1991 की सेंसस के आधार पर गांवों की संख्या दी है और उनमें से कितने विघुतीकृत हो गए हैं, यह बताया है, लेकिन

उसमें 1991 सेंसस में जितने गांव विघुतीकृत किए गए हैं, उनमें हैबीटेट्स भी रहते हैं। महोदय, मेरा गुजरात का अनुभव है कि करीब 2 हजार के करीब हैबीटेट्स इन गांव के अलावा है। तो उनके बारे में आप ने कुछ व्यवस्था सोची है कि नहीं खासकर गुजरात में जो तीव्र भूकम्प आया था, उसके कारण कई गावं नए बसाए जा रहे हैं और इन नए बसाए जाने वाले गांवों के लिए क्या आप ने कोई योजना विचारित की है या नहीं यह बताने की कृपा करें?

श्री सुरेश प्रभु: सर, इस साल के पहले ग्रामीण विघुतीकरण करने के लिए राज्यों के अपने खुद के जो एवेलेबल फंड्स हैं, उसके लिए कमीशन करने की जरुरत महसूस होती थी। लोक सभा में प्रश्नकाल में मैंने कहा था कि ऐसा एक राज्य है जहां यदि यही रफ्तार कायम रहेगी तो वहां विघुतीकरण करने के लिए हमें शायद 100 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमने कहा था कि जल्दी से जल्दी यह विघुतीकरण पूरा हो इसके लिए हमारी सरकार अगले ही सैशन में एक प्रपोजल लाएगी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अगले ही सैशन में हमारे वित्त मंत्री जी ने उसका ऐलान अपनी बजट स्पीच में भी किया और उसके तहत अब राज्यों को विघुतीकरण करने के लिए अपने फंड के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना के तहत भी फंड मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यह जो फंड मिलते हैं, उसमें कुछ ग्रांट होती है और बाकी का पोर्शन लोन होता है। जो स्पेशल केटेगरी वाले स्टेट्स हैं, उनके लिए तो 90 परसैंट तक ग्रांट होती है। इसलिए राज्यों का विघुतीकरण करने में इससे सहायता होगी। हमने इस तरह का एक कार्यक्रम बनाया है जिसके अंदर हमने 2001-2002 वर्ष के लिए पूंजी भी लगाई है। आपने सही कहा कि कुछ राज्यों को हमने ऐलोकेशन इसलिए तय नहीं किया क्योंकि ऐडवांस प्लान ऐलोकेशन है। जिन राज्यों में विघुतीकरण पूरा हुआ है, उनके लिए जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी यदि वे राज्य चाहते हैं उससे फंड ले सकते हैं क्योंकि उसमें अनऐलोकेटिड पोर्शन 35 परसैंट है जिसमें से आप चाहें तो फंड ले सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो भी राज्य चाहेंगे और जिनको ज्यादा जरुरत होगी, उनकी जरुरत भी पूरी की जाएगी।

गुजरात के बारे में जैसा कि आपने सुझाव दिया है, वह सुझाव हमारे कई अन्य सम्माननीय सदस्यों ने भी दिया है कि जो हमारी बस्तियां हैं जब तक उनका विघुतीकरण नहीं किया जाता तब तक गांवों का विघुतीकरण किया गया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहूंगा कि इस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, गुजरात राज्य में भूकम्प के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसके लिए मैं खुद भूकम्प के सिर्फ एक दिन बाद गुजरात में अपनी पूरी टैक्निकल टीम और वहां के पावरग्रिड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जैसी संस्थाओं के सी.एम.डीज़. के साथ वहां गया था और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने वहां कम से कम समय में विघुतकरण शुरु किया। वहां जो भी गांव नए बसाए जा रहे हैं, उनमें

विघुतीकरण करने के लिए हमने पूरे कच्छ ङिस्ट्रिक्ट को एक मॉङल ङिस्ट्रिक बनाना तय किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वहां विघुतीकरण की जो समस्या होगी उसको हल करने के लिए भारत सरकार गुजरात सरकार को पूरी तरह से सहायता देगी।

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chairman, Sir, I must say how happy wc are when we read the definition of "village electrification" and the amount of electricity supplied to it; and being so close to the numbers planned is something which is very pleasant. But I would like to suggest to the hon. Minister, simply giving electricity to a village in an undefined place or to a gram udyog will not help, they should give top priority to providing electricity to the primary and secondary schools in the area because, if you have electricity in the schools, they can have night shifts. That would solve a lot of problems of the children working during the daytime. I found in my own State, Karnataka, that an evening school is much more effective than a daytime school, not only for the school, but for social activity of the whole village. In this way, the electricity will have an added advantage of being very useful to the village, if the school is considered as a unit.

SHRI SURESH PRABHU: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has made a very useful and a very constructive suggestion. I can assure the House that when we consider the new definition, we would definitely incorporate the suggestion of the hon. Member into that definition.

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति जी, ग्रामीण विघुतीकरण का जो सवाल है, तो किसी भी स्टेट में विघुत के मामले में किसान के सामने दो प्रकार का संकट है-एक तो समय पर बिजली का न मिलना और दूसरे विघुत का जो चार्ज है, वह काफी हाई हो गया है। 1990 के अंदर एक किसान यदि 5 हार्स पावर का बिजली का एक कनेक्शन लेता था तो उसे 5 हार्स पावर की मोटर पर पांच खंभे फ्री मिलते थे, आज स्थिति दूसरी हो गई हैं । आज एक खंभे पर 11,000 रूपए लिए जाते हैं, कोई खंभा फ्री नहीं दिया जाता और बिजली के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। जहां तक विघुतीकरण का सवाल है और जो परिभाषा इसकी मंत्री जी देते हैं तथा जो आंकङे मंत्री जी देते हैं, स्थिति दूसरी है। मंत्री जी ने आंकङों में तो इतने गांव दिखा दिए हैं हर स्टेट के अंदर और राजस्थान स्टेट में भी बहुत गांव दिखा दिए हैं, लेकिन वहां ऐक्च्युअल में स्थिति दूसरी है। आपके आंकङों के मुताबिक विघुतीकरण हो गया लेकिन वहां विघुत गई नहीं है, एक बल्ब तक

नहीं लगा है, वहां पर आज तक बिजली के खंभे और तार तक नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिजली के रेट भी ज्यादा लिए जांए, बिजली भी न दी जाए, 8 घंटे की जगह 4 घंटे बिजली किसानों को मिले और चार्ज हाई होने के बावजूद नए कनेक्शंस आप किसानों को न दें तो आखिर ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से आप किसानों को बिजली देंगे? ऐसे बहुत से गांव हैं देश के अंदर जहां आपके आंकड़ों के मुताबिक बिजली पहुंचा दी गई है लेकिन जिनमें बिजली के खंभे तक नहीं गाड़े गए हैं, एक बल्ब तक नहीं लगा है, क्या आप इन गांवों का सर्वे कराएंगे? इन गावों को कब तक बिजली पहुंचा दी जाएगी?

श्री सुरेश प्रभु: सभापति महोदय, हम समझते हैं कि किसानों को बिजली देना अनिवार्य है और उन्हें बिजली देने की योजना भी है, नीति भी है लेकिन कहां तक यह काम पूरा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी मुख्य रुप से राज्य सरकारों की है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान में बिजली सामवर्ती सूची में है। इसलिए आप यदि यह जानकारी लेना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार कब तक यह काम पूरा करेगी तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से सीधे यह जानकारी हासिल कर सकते हैं और यदि आप मेरे माध्यम से यह जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं अवश्य उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करुंगा।

दूसरी बात यह है कि किसानों को कम से कम दाम पर बिजली मिलनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से किसानों को जो बिजली दी जाती है उसकी कोई एकाउंटिंग आज देश में नहीं है, इसलिए आज बिजली की चोरी देश में होती है। हमारे एक अनुमान के अनुसार शायद 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली की चोरी देश में होती है। चूंकि हम ठीक से ऐग्रीकल्चर कंज़म्प्शन को मीटर नहीं करते, उसकी एकाउंटिंग नहीं करते, इसलिए जो बिजली की चोरी होती है, उसको हम एग्रीकल्चर कंज़म्प्शन में ड़ाल देते हैं। इसलिए किसानों के सिर पर इसका इलज़ाम तो लगाया जाता है लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती। इसलिए इस स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को हम एक एकाउंटिंग सेंटर में परिवर्तित करेंगे। वहां एकाउंटेबिलिटी होगी और जो भी बिजली किसानों को दी जाती है, उसके लिए एक अलग फीडर होगा ताकि हमको पता चले कि किसानों को कितनी बिजली मिलती है।

हमारी यह नीति है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली कम से कम दाम पर मिले, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कुछ परिवर्तन पूरे ढ़ांचे में करने की आवश्यकता है जिसको हम पावर सैक्टर रिफॉम्सॅ कहते हैं और यह कार्यक्रम हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा था लेकिन कुछ राज्यों में इस पर अमल करते समय विरोधी दल विरोध करते हैं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस यदि परिवर्तन करना चाहेगी तो वहां जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वे इसका विरोध करते हैं, इसी तरह आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी आज रुलिंग पार्टी है, वह अगर इसमें परिवर्तन

करने की बात करती है तो वहां विपक्ष में बैठे हुए लोग इसका विरोध करते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की स्थिति हमारे देश के हित में नहीं है। यदि किसी चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐग्री किया है तो सभी राजनीतिक दलों को भी इसका पालन करना चाहिए। इसलिए मैंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ पत्र-व्यवहार करके उनके सामने एक कॉमन मिनिमम एजेंड़ा पावर सैक्टर के डेवलपमेंट के बारे में रखा है और हमें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल राजनीति से हटकर, इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मानेंगे।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, so far as rural electrification is concerned, I think one of our shortcomings has been that we have seen all this rural electrification as a part of electricity. As a matter of fact, it is part of rural development as whole. That is why, when I was in the Standing Committee—which had given certain recommendations also—during the deliberations in the Committee, we had maintained that 30 per cent of the households should be the minimum parameter. After discussions, it was brought down to 10 per cent. But, somehow or the other, it was not acceptable to the Government, the Central Government and the State Governments, and all that. I still insist that, instead of making it in such a way, within the purview of the revenue boundary, it has to be more specific and the bench marks, as Mr. Raja Ramanna has now pointed out, should be decided. Will the Minister kindly discuss it with the Minister of Rural Development and have certain bench marks for rural development, say, 30 per cent of households is one parameter, one bench mark; second, primary schools — another bench mark for development; third, street lights — five street lights in a village, etc.? Certain bench marks must be fixed. You should fix the bench marks, in consultation with the Minister of Rural Development and then say that a village is electrified. That is why it pinches, the States when you find that there is no light, when 85 per cent of the villages were electrified three years back! But the actual survey showed that 30 per cent households were electrified. So, that does not carry us anywhere. Would he therefore

make a time-bound programme to ensure that certain bench mark would be fixed up in consultation with the Ministry of Rural Development, and based on that, a village will be declared electrified, at least, with a prospective effect, if not with a retrospective effect? There would be opposition from many sides, especially, the bureaucrats and technocrats.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I have no hesitation in accepting this very useful suggestion. We will definitely act on this very constructive suggestion. In fact, I would request all the Members of Parliament to offer their suggestions, because we are in the process of reviewing the whole ambit of the definition of rural electrification. We will definitely consider this. I have already proposed a Note, to be sent to the Cabinet, in which the entire issue of rural electrification is being considered, in which we are also considering the aspect that you have mentioned, that is, as to how we can work very closely with the Rural Development Ministry. In fact, my colleague, the hon. Rural Development Minister, has been kind enough to convene a meeting, to bring in more synergy in the rural development areas, because different Ministries handle the same target group. We want to target the village, and see how we can really think about the total transformation of a village through the actions of various Ministries. This initiative we have already taken. We are working on it. I am happy to say that we are going to involve the hon. Members of Parliament in suggesting if any village needs to be electrified in their respective constituencies. So, the Note that has to go to the Cabinet would announce the role of a Member of Parliament in suggesting rural electrification in his respective constituency. We will definitely consider school as a unit. This is what you have suggested, and the same suggestion was made by Dr. Raja Ramanna. We will definitely work on this.

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM ISRAEL

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from Israel, currently on a visit to our

country, under the distinguished leadership of Mr. Amnon Rubinstein, an M.P. and the Chairman of the Israel-India Parliamentary Friendship League.

On behalf of the Members of the House, and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation, and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary System, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Israel. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Israel.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

S.Q. Nos. 146 and 158—Contd.

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विघुतीकरण के लिए पूर्व में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, पिछले तीन वर्षों में, क्या उन लक्ष्यों की पूर्ति हुई है और यदि नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं? मेरे सप्लीमेंटरी का "बी" पार्ट यह है कि विभिन्न प्रदेशों को जो प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राशि आबंटित की गयी है, उसमें मध्य प्रदेश के लिए मात्र 1,460 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है, जबकि इसका नामकरण प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना रखा गया है। तो प्रधान मंत्री के जन्म प्रदेश, मध्य प्रदेश में उनके नामकरण पर जो राशि आबंटित की गयी है, क्या उसको बढ़ाए जाने के संबंध में मंत्री जी विचार करेंगे और यदि करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मध्य प्रदेश में ज्यादा धन देने की जो वजह माननीय सांसद ने बताई है, उसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम उस पर जरुर विचार करेंगे लेकिन मैं आपको कुछ आंकडे देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि इससे पहले कि जब हमने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विघुतीकरण का समावेश किया, उसके पहले रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, भारत सरकार की जो संस्था है, उसके माध्यम से राज्यों को धन दिया जाता था। आपको पता होगा कि रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन

करपेरेशन जो धन राज्यों को देती है, वह धन रेज़ करने के लिये मार्किट में जाकर बांड्स ईशू करते हैं और जब तक राज्यों को जो धन दिया गया है, वह वापिस नहीं होता तब तक मैच्योर्ड बांड रीपेमेंट करने की क्षमता नहीं रहेगी और जो अलग राज्य है, उनको भी धन नहीं मिलेगा। इसके अंतिरिक्त जिन राज्यों को पहले दे चुके हैं, उनको भी दुबारा धन नहीं मिल पाएगा। इसलिए रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन करपोरेशन यह चाहेगा कि जो भी धन दिया गया है, वह वापिस आ जाए। जो राज्यों के ऊपर बकाया राशि है उसमें मध्य प्रदेश पर 1,58,172 करोड़ रुपया है।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैंने यह नहीं पूछा है कि किस राज्य पर कितनी राशि बकाया है। मेरा प्रश्न सीधा है, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत जो राशि विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई है, मध्य प्रदेश प्रधान मंत्री का जन्म प्रदेश है, क्या ज्यादा राशि प्रदान करने पर विचार करेंगे।

श्री सुरेश प्रभु: सर, मध्य प्रदेश पर बकाया राशि 1,58,172 करोड़ रुपया है। यदि वह राशि भी हमको जल्द से जल्द मिल जाती है तो हम ज्यादा से ज्यादा धन सिर्फ ग्रामोदय योजना से ही नहीं, रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन भी से, जिसमें कोई सीलिंग नहीं है, जितना चाहे धन ले सकते हैं। दूसरे, ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत यदि राज्यों को ज्यादा धन लेने की इच्छा है, वे ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मिनिमम एलोकेशन होता है, मध्य प्रदेश के साथ हम बात-चीत करेंगे । यदि वे चाहेंगे तो इस योजना के अंतर्गत उनको धन मिलेगा, हम वह जरुर देखेंगे।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: सभापति महोदय, शिक्षा और प्रकाश दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रश्न करते वक्त स्कूल का हवाला दिया है। हमारे अबुल कलाम जैसे एटॉनोमिक एड्वाइज़र भी स्ट्रीट लाइट से पढ़ाई-लिखाई करके इतनी ऊंची जगह पर पहुंचे हैं। हमारे बहुत से मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी ऐसे होंगे जो सड़क की लाइट से पढ़कर यहां पहुंचे होंगे, मंत्री पद संभाला होगा और देश का संचालन किया होगा। आज जब हम प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शिक्षा, कम्पयूटर स्कूल और ग्राम के स्कूलों के बारे में कल्पना करते हैं तो बड़ा फर्क पाते हैं। आज कम्प्यूटर का जमाना है। कम्प्यूटर शहरों के स्कूलों में तो मिल जाते हैं लेकिन गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। वहां पर बैटरी आपरेटिड कम्प्यूटर भेजे जाते हैं क्योंकि वहां पर बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते इसलिए वे नाकाम हो जाते हैं। महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल है कि क्या कम्प्यूटर के लिए और ग्रामों में स्कूलों में कम्प्यूटर के प्रयोग के लिए बिजली का कनैक्शन दिया जाएगा। ताकि छात्र दिन में कम्प्यूटर का प्रयोग कर सकेंगे और कम्प्यूटरीकरण का वे एक हिस्सा बन सकेंगे। नहीं तो वे इससे वंचित रह जाएंगे। मेरा दूसरा, 'ख' प्रश्न यह है कि यदि वहां इलैक्ट्रिफिकेशन हो जाए तो गांवों के जो रात्रि स्कूल हैं, जो नाईट में चलते हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी तो आप कब तक यह टाइम बाउन्ड प्रोग्राम लागू कर सकेंगे?

श्री सुरेश प्रभु: यह भी बहुत अच्छा सुझाव है। अभी जैसा मैंने कहा कि गांवों को ले रहे हैं और राज्यों के साथ भी प्रक्रिया चल रही है और हम उनके साथ सलाह कर रहे हैं। हम इसको अन्तर्भाव करके बात करेंगे। आपने सही कहा है कि कई ऐसे सांसद हैं, अलग-अलग राजनैतिक दलों के प्रमुख हैं जिन्हें बिजली न होने के कारण दुरर्भाग्यवश अंधेरे में पढ़ना पड़ा। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं, उनको भी स्ट्रीट लाइट में पढ़ना पड़ा। आने वाली जनरेशन के लिए यह नौबत न आए, इसके लिए हमारे कार्यक्रम हैं। आपने जो सुझाव दिया है, इस पर हम विचार करेंगे।

Collaboration of India and Pakistan in Textiles Sector

*147. SHRI R. SARATH KUMAR:†

SHRI P.N. SIVA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether India and Pakistan have decided to collaborate to protect their interests in the textiles sector against European Union;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the mechanism evolved to protect the interests of textile manufacturers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI V. DHANANJAY KUMAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

There is no direct collaboration with Pakistan to protect interests in the textile sector against European Union. However, efforts are made to involve all developing countries, including Pakistan, for raising the common concerns related to textile sector at appropriate fora.

SHRI R. SARATH KUMAR: Hon. Chairman, Sir, everybody knows the efforts made by the hon. Minister for raising the common concerns relating to our textile sector. I want to put a question to the Minister. Sir, the textiles exported from Pakistan to European Union

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. Sarath Kumar.